

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 175 सन 2019

अनवान :-

1. मोहरसिंह पुत्र नौरगलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. नौरगलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अंकित कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. सुशीला पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र नौरगलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. बिमला 6 चन्द्रावती 7 बसन्ती 8 सुमेत्रा पुत्रीयान नौरगलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 12/2/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 58/48 के खसरा न० 195/3 की 6.2350 हैक , एवं खाता संख्या 149/142 के खसरा न० 327 की 0.8600 हैक खसरा न० 328 की 3.9080 कुल 4.7680 हैक भूमि वादी की माता श्योकोरी जो फोट हो चुकी है के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि जो वादी की दादी श्योकोरी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसको श्योकोरी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र खमाणाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है वादी के दादा ख्यालीराम के देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहन है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य बाहमी बटवारा हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 149/142 की 4.7680 हैक भूमि जो मृतक श्योकोरी के नाम से दर्ज है वह वादी के पास रहेगी एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 58/48 की 6.3250 हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो प्रतिवादी संख्या 2 का दादा है के पास रहेगी इसी अनुसार भूमि काश्त करते है। इस प्रकार वादी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ता 8 को कोई हक हिस्सा नहीं है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता ख्यालीराम पुत्र खुमाणाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 8 जो वादी के पिता/पुत्र/बहन है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 58/48 के खसरा न0 195/3 की 6.2350 हैक , एवं खाता संख्या 149/142 के खसरा न0 327 की 0.8600 हैक खसरा न0 328 की 3.9080 कुल 4.7680 हैक भूमि वादी की माता श्योकोरी जो फोट हो चुकी है के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि जो वादी की दादी श्योकारी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसको श्योकोरी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है जो मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र खुमाणाराम के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है वादी के दादा ख्यालीराम के देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहन है प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जा चुका है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य बाहमी बटवारा हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 149/142 की 4.7680 हैक भूमि जो मृतक श्योकारी के नाम से दर्ज है वह वादी के पास रहेगी एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 58/48 की 6.3250 हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो प्रतिवादी संख्या 2 का दादा है के पास रहेगी इसी अनुसार भूमि काश्त करते हैं। इस प्रकार वादी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 8 को कोई हक हिस्सा नहीं है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे हैं इसी अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/बाहमी राजीनामा पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 58/48 के खसरा न0 195/3 की 6.2350 हैक , एवं खाता संख्या 149/142 के खसरा न0 327 की 0.8600 हैक खसरा न0 328 की 3.9080 कुल 4.7680 हैक भूमि वादी की माता श्योकोरी जो फोट हो चुकी है के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा सांगठिया के अनुसार रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 149/142 की कुल 4.7680 हैक भूमि वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र खुमाणाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र खुमाणाराम के नाम

से दर्ज है वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र खुमाणा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 बहिब के हकदार है।


रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 58/48 की 6.2350 हैक्, वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की माता श्योकारी के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ही है जो मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 जो वादी की बहने एवं माता व भाई ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि में उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 58/48 की कुल 6.2350 हैक् जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 149/142 की कुल 4.7680 हैक् जो मृतक श्योकारी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपस्थित अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमन्गढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मोहरसिंह पुत्र नौरगलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम

- 1 नौरगलाल पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 अंकित कुमार पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
- 3 सुशीला पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
- 4 कृष्ण कुमार पुत्र नौरगलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
- 5 बिमला 6 चन्द्रावती 7 बसन्ती 8 सुमेत्रा पुत्रीयान नौरगलाल जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 175 सम 2019 निर्णय दिनांक-12/02/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कौबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 58/48 की कुल 6.2350 हैक जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 149/142 की कुल 4.7680 हैक जो मृतक श्योकारी के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)